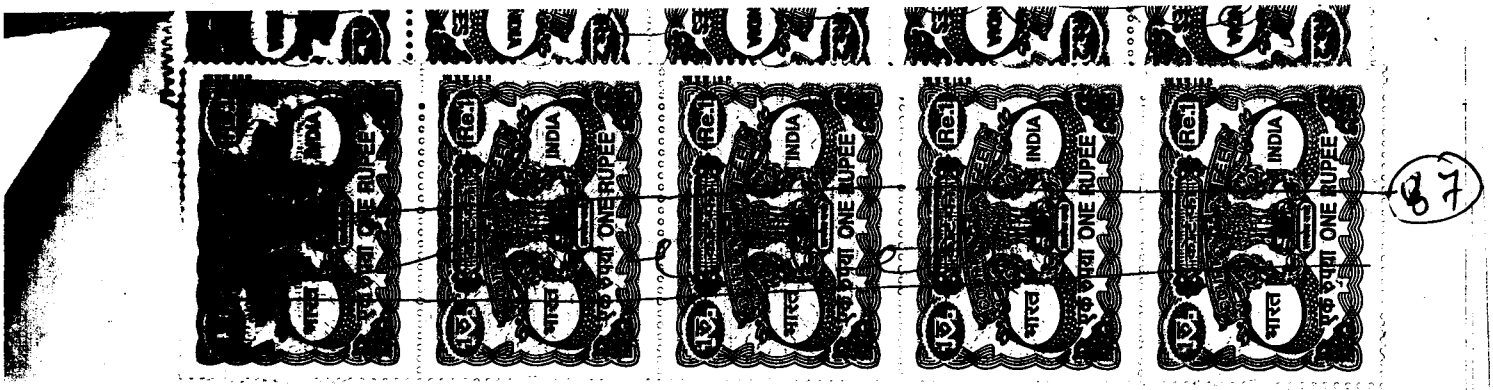

(87)

न्यायालय :-- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपील - 668- PBR/10

प्रक. /2010 अपील

जितेन्द्र नागवानी पुत्र श्री आशाराम नागवानी
निवासी सिंधु आदर्श कॉलोनी शिवम विला हेम सिंह की परेड सिकन्दर कम्पू ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र.
---- अपीलान्ट

श्री एस. पी. धाकड़, एडवोकेट
द्वारा आज दि० 11-5-10 को प्रस्तुत।
अवर सचिव 11-5-10
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

बनाम

1. आई.डी.बी.आई. बैंक शाखा नया बाजार लश्कर ग्वालियर
2. अपर तहसीलदार तहसील ग्वालियर
---- रेस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय आयुक्त महोदय आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रक. 13/08-09 आदेश दिनांक 05-04-10 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत।

श्रीमान जी,

अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार पेश है :-

अपील के संक्षिप्त तथ्य :-

1. यह कि, प्रकरण में रेस्पोडेन्टगण द्वारा मुझ अपीलान्ट के विरुद्ध अपर तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष म. प्र. लोन धन राशियों की वसूली अधिनियम 1987 के तहत अपर तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष कार्यवाही की जा रही है।

2. यह कि, प्रकरण में अपर तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा सही कार्यवाही ना कर अवैध एवं अनियमित कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में विशेष रुचि लेकर पेशी पास-2 की दिया जाना एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही से तंग होकर संहिता की धारा 29 के तहत आवेदन पत्र आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें आयुक्त महोदय द्वारा ग्राह्य करते हुये ना तो रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया और ना ही विधिवत अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही करने के निर्देष दिये गये। और रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी नहीं किया गया। विधिवत नोटिस की निर्वाह रेस्पोडेन्ट को नहीं कराया गया। इस कारण उक्त कार्यवाही दूषित होकर निरस्तनीय है।

3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के आवेदन पत्र संहिता की धारा 29 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें ना तो अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक अपील 668–पीबीआर/2010 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13.4.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत् कार्यवाही की जा रही है । प्रकरण में अन्तरण का औचित्य नहीं होने से अपर आयुक्त द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह अपील ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	